

राजस्थान सरकार  
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ1 (10)परि/स्था/2023/10093-


जयपुर, दिनांक:- 4/2/23

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 241.01.0 वित्तीय वर्ष 2023-24 की क्रियान्विति के क्रम में जोधपुर में एक नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर-द्वितीय खोलने की एतद् द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। वर्तमान में कार्यशील कार्यालय का नाम प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर-प्रथम निर्धारित किया जाता है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 102301302 दिनांक 22.06.2023 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

क्षेत्राधिकार निर्धारण एवं अन्य व्यवस्थाओं संबंधी आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

  
(कन्हैया लाल स्वामी)  
परिवहन आयुक्त

क्रमांक: एफ1 (10)परि/स्था/2023/10094-10112

जयपुर, दिनांक:- 4/2/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, महालेखाकार, राजस्थान।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
9. पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
10. जिला कलक्टर, जोधपुर।
11. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.) एवं संयुक्त शासन सचिव (मु.), राजस्थान, जयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जोधपुर/जयपुर।
14. वित्तीय सलाहकार, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
15. समस्त अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
16. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी .....
17. कोषाधिकारी, जोधपुर।
18. लेखा/भुगतान शाखा दो प्रतियों में।
19. रक्षित पत्रावली।

  
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)  
एवं संयुक्त शासन सचिव